सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी, डॉ0 राकेश कुमार शर्मा, आर.ए.एस

अपील संख्याः 22/10 **निर्णय दिनांक 25.01.2018**

1. फरसदान पुत्र मुरारदान जाति चारण निवासी ग्राम दासौड़ी तहसील कोलायत जिला बीकानेर।

अपीलांट

—बनाम—

1. आवड़दान पुत्र दुर्गादान जाति चारण निवासी ग्राम दासौड़ी तहसील कोलायत जिला बीकानेर।

—रेस्पोडेन्ट्

अपील विरुद्व निर्णय उपखण्ड अधिकारी कोलायत
दिनांक 09—07—2015

उपस्थितः

1. श्री रणजीत सिंह बिश्नोई, अभिभाषक अपीलांट

2. श्री राधाकिसन स्वामी, अभिभाषक रेस्पोडेन्ट

—निर्णय—

1. अपीलांट ने यह अपील उपखण्ड अधिकारी कोलायत के निर्णय दिनांक 09—07—2015 जिसके द्वारा अपीलांट का अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र खारिज किया गया है, के विरुद्व इस न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 225 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि वादगत् भूमि खेत खसरा नम्बर 123 रकबा 34 बीघा 18 बिस्वा जिसके नये खसरा नम्बर 128 रकबा 8.83 हेक्टर वाके रोही दासौड़ी तहसील कोलायत में स्थित है। जिस पर अपीलांट का संवत् 2012 से पूर्व से बतौर काश्तकार आज दिनांक तक लगातार कब्जा काश्त में है। अपीलांट वादगत् भूमि पर रिहायशी ढाणी व झोपड़ा व पीने के पानी का पक्का कुण्ड बनाया हुआ है। किन्हीं कारणों से अपीलांट धारा 19 राजस्थान टीनेन्सी एक्ट के तहत खातेदारी दर्ज नहीं हुई। वादगत् भूमि रेस्पोडेन्ट के पिता स्व. दुर्गादान ने अपीलांट को विक्रय कर दी गई। इस प्रकार वादगत् भूमि पर सवंत् 2012 से पूर्व लगातार काबिज काश्तकार खातेदार की हैसियत से निरन्तर काबिज है।

अदालत मातहत द्वारा पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किये बिना ही आदेश जैर अपील पारित किया गया है। उक्त आदेश स्पीकिंग आदेश की श्रेणी में नहीं आता है। अदालत मातहत द्वारा पत्रावली राजस्व अभियान में रखी गई तथा दोनों पक्षों की उपस्थिति में समझोतावार्ता भी करवाई गई परन्तु रेस्पोडेन्ट बाद में मुकर गये। अदालत मातहत द्वारा अपीलाधीन आदेश में केवल मात्र यह अंकित किया गया है कि प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति अपीलांट के पक्ष में नहीं बनती है अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीए सारहीन होने से खारिज किया जाता है। जबकि अदालत मातहत द्वारा अस्थाई निषेधाज्ञा के इन तीनों महत्वपूर्ण तथ्यों पर अपना कोई विवेचन अंकित नहीं किया गया है। केवल मात्र खाना—पूर्ति करने के उद्वेश्य मात्र से अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। जो प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तों के विपरीत होने से काबिल खारिज आदेश है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जावे। विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस के समर्थन में आरआरडी 1986 पेज 477, आरआरटी 2011 पार्ट I पेज 217, आरआरटी 2016 पार्ट II पेज 1326 के न्यायिक दृष्टांत पेश किये।

4. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने अपनी बहस में बताया कि विवादित भूमि रेस्पोडेन्ट्स के नाम राजस्व रेकार्ड में खातेदारी दर्ज है। कानूनन खातेदार के विरुद्व अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती। अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट प्रथमदृष्टया केस, सुविधा का संतुलन व अपूरर्णीय क्षति के बिन्दु साबित करने में असफल रहा है। इसलिए अधीनस्थ न्यायालय ने अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र खारिज किया है जो विधि सम्मत है। अतः अपीलांट की अपील खारिज की जावे।

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

6. अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट ने धोषणात्मक दावा पेश किया तथा उसके साथ अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र पेश किया। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट का अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र खारिज किया है जिसके विरुद्व अपीलांट ने अपील पेश की है। राजस्व रेकार्ड जमाबंदी के अनुसार विवादित भूमि रेस्पोडेन्ट्स के नाम खातेदार दर्ज है। अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट का धोषणात्मक वाद विचाराधीन है जिसमें गुणावगुण पर धोषणा होनी है। विवादित भूमि पर अपीलांट अपना कब्जा काश्त साबित नही कर पाया है। इसलिए रेकार्डेड़ खातेदार के विरुद्व अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती।

7. अतः उक्त विवेचना के आधार पर अपीलांट की अपील खारिज की जाती है एवं उपखण्ड अधिकारी कोलायत का आदेश दिनांक 09—07—2015 बहाल रखा जाता है।

8. निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक को सरे इजलास सुनाया गया।

(डॉ0 राकेश कुमार शर्मा)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर